

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2021

विषय:- जनपद बरेली में बरेली बंदायूँ कैण्ट मार्ग (लाल फाटक से बरेली बंदायूँ एन0एच0 मार्ग जंक्शन) (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 4.300 कि0मी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 1673नि/108-01नि0/2020-21, दिनांक 24-11-2020 संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के उच्चीकरण योजनान्तर्गत जनपद बरेली में बरेली बंदायूँ कैण्ट मार्ग (लाल फाटक से बरेली बंदायूँ एन0एच0 मार्ग जंक्शन) (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 4.300 कि0मी0) की आंकलित लागत रू0 3887.09 लाख (रूपये अड़तीस करोड़ सत्तासी लाख नौ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागत के सापेक्ष रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) व्यय हेतु निम्न विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि		
				अनु0-58 का अंश	अनु0-83 का अंश	योग
1	बरेली नि0ख0 भवन	बरेली बंदायूँ कैण्ट मार्ग (लाल फाटक से बरेली बंदायूँ एन0एच0 मार्ग जंक्शन) (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 4.300 कि0मी0)	3887.09	78.79	21.21	100.00

- (1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

Executive Engineer,
Const. Divn. Bld. P.V.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकता अनुसार जारी की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाय। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत तो नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।
- (7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित के शासनादेश सं०-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।
- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (9) मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
- (10) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रयोजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।
- (11) व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (12) समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (13) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
- (14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24-03-2020 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एक मुश्त व्यवस्था-1328-प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-464/दस-2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

16.09.21
Executive Engineer
Const. Divn. Bld. P.V.
Bareilly

- 284/2021/ 13 ई (1)/23-11-2020-1/2(161)/2020-तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

नेजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

बंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

बंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।

योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।

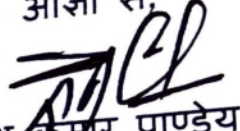
रोक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।

सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

फाइल।

आज्ञा से,



(राजेश कुमार पाण्डेय)

अनु सचिव।

16.09.21
Executive Engineer
Const. Divn. Bld. P.V.
Bareilly